## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
**पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या / 37 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

**उनवान**

1. रामचन्द्र पिता कालु सुथार आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रूप लाल पिता कालु सुथार आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

– वादीगण

**बनाम**

1. राज्य जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत गौराज़ी का निम्बाहेड़ा जरिये सरपंच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

**–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92(अ) आर.टी.एक्ट :–**

**निर्णय दिनांक: 10.04.2026**

**–:निर्णय:–**

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 एवं 92(अ) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन में वादीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की आ० नं० 1198 रकबा 1.00 हैक्ट0 स्थित है जिसके साबीक पैमायश आ. नं. 898 थे।

यह कि साबीक पैमायश में उक्त आराजी में नक्शा में कोई रास्ता दर्ज नहीं था मगर हाल सेटलमेन्ट में पैमायश वालों ने आ. नं. 898 का नया नम्बर आ.नं. 1198 नक्शे में तरमीम कर दर्शाया गया मगर उक्त आ. नं. 1198 के अन्दर डोटेड लाईन से चिन्ह अंकित कर दिये जो गलत है तथा हमारी उक्त आराजी में कभी कोई रास्ता नहीं था व आज भी नहीं है मगर पैमायश वालों ने बिना किसी अधिकार के नक्शे में उक्त डोटेड लाईन रास्ता अंकित कर दी है जो गलत है तथा दुरुस्ती किए जाने योग्य है।

यह कि प्रतिवादीगण हाल में सड़क कार्य चलने से डोटेड लाईन को आधार बना कर जबरन हमारी आ. नं 1198 में रास्ता निकालना चाहते है जो अवैधानिक व गलत है तथा वादीगण के हाल में उक्त रेकॉर्ड देखने पर यह जानकारी हुई है अतः उक्त नक्शे में दुरूस्ती किया जाना व प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में दस्तन्दाजी नहीं करने व सड़क रास्ता नहीं बनाने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा उक्त गलत ईन्द्राज की आड़ में यदि वादीगण की जमीन में रास्ता निकाल दिया तो आराजी अनुपयोगी हो जावेगी व हमारे हितों पर प्रतिकूल असर होगा व भारी असुविधा व क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी। प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा जारी होने पर कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी।

यह कि प्रतिवादीगण को वादीगण ने इन्द्राज दुरस्ती करने व दखलन्दाजी कर रास्ता कायम नहीं करने बाबत् कहा तो नहीं मानते है अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 7/6/2008 से है व निरन्तर पैदा हो रही है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है कि –

1– यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कालम नम्बर 1 में वर्णित वादीगण के खातेदारी की ग्राम गौराजी का निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 1198 जिसके साबीक नं. 898 हैं उसमें हाल



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

पैमायश में जो डोटेड लाईन से रास्ते के निशानात नक्षे में कायम किए है वह गलत हैं अतः उन्हें दुरूस्ती कर हटाया जावें।

– यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण की जैरबहस आ0नं0 1198 में कोई रास्ता कायम नहीं करें व दस्तन्दाजी नहीं करें तथा इस हेतु अपने नौकर एजेन्ट व अन्य को भी प्रेरित नहीं करें। हर्जा खर्चा आदि दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। **प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है।** तत्पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोराजी का निम्बाहेडा हाल आ. नं. 1198 में नक्शा पर सेटलमेंट के दौरान रास्ता अंकित किया गया है जो सेटलमेंट पूर्व नहीं था ?

–जिम्मेवादीगण

2. आया वादी नक्शा दुरूस्त कराने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ?

–जिम्मेवादीगण

3. दादरसी

साक्ष्यवादी में रामचन्द्र, भैरूसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

**<u>तनकी संख्या 01 :–</u>**

आया वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोराजी का निम्बाहेडा हाल आ. नं. 1198 में नक्शा पर सेटलमेंट के दौरान रास्ता अंकित किया गया है जो सेटलमेंट पूर्व नहीं था ? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजो से आराजी संख्या 1198 साबिक आराजी संख्या 898/2 से बने है, साबिक नक्शें में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार की डोटेड लाईन नही है, अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

**<u>तनकी संख्या 02 :–</u>**

आया वादी नक्शा दुरूस्त कराने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादीगण का था। तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में सिद्ध होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से सिद्ध की जाती है।

अतः तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित होने से वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0 आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन की आ० नं० 1198 रकबा 1.00 हैक्ट0 स्थित है के हाल नक्शें में साबिक नक्शे अनुसार अंकित डोट–डोट लाईन हटाये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन